राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प1(103)/निचिस्वा./विधि/सामा./2014/ 114 दिनांक 10/9/14

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं/अपीलों में राज्य सरकार का समुचित पक्ष समय पर रखनें, विभागीय अधिकारियों के द्वारा समय पर जवाब दावा प्रस्तुत करानें व निर्णित प्रकरणों को प्रीलिटीगेशन कमेटी के समक्ष रखवाकर प्रीलिटीगेशन कमेटी के द्वारा लिये गये निर्णयों की पालना सुनिश्चित करने व प्रतिदिन जारी होने वाली कॉज लिस्ट के अनुसार विभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक प्रकरण में केस प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने, समुचित जवाब दावा प्रस्तुत करने, निर्णय की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करने के आदेशों की क्रियानविति की समीक्षा/पालना एवं पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार संबंधित डी.ए. द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने, जारी किये गये स्मरण पत्रो की समीक्षा व पूर्व बैठक में लिये गये अन्य निर्णयों की प्रगति/पालना के संबंध में दिनांक 09.09.2014 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कक्ष में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें :–

1. डॉ0 बी0 के0 माथुर, अति0 निदेशक (राजपत्रित)
2. डॉ0 प्रहलाद सिंह दुतड़, उपनिदेशक (प्रशासन)
3. श्री दुर्गाप्रसाद, सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय
4. श्री गजानन्द वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, विधि अनुभाग, मुख्यालय
5. श्री हरि सिंह जाटव, सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय
6. श्री राजकुमार, वरिष्ठ लिपिक, मुख्यालय
7. श्री मुरारी लाल गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, मुख्यालय

बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय सर्वसम्मति से लिये गयेः–

1. सेवा निवृत्त कर्मचारियो द्वारा दायर रिट जिनमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिले का कोई भी विभागीय अधिकारी पक्षकार नहीं है, ऐसे प्रकरणों में निदेशालय मुख्यालय के अधिकारियों को केस अधिकारी प्रभारी/समन्वयक नियुक्त करने की कार्यवाही की जावे।
2. निदेशालय मे कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियो की सूची अति0 निदेशक (राजपत्रित) द्वारा विधि अनुभाग को अविलम्ब प्रेषित की जावे।
3. विधि अनुभाग से प्राप्त सूची के अनुसार समानुपात में केस अधिकारी प्रभारी/समन्वयक नियुक्त करने की कार्यवाही की जावे।
4. पूर्व बैठक दिनांक 24.07.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मासिक सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है व निर्णय अनुसार प्रकरण में स्मरण पत्र जारी नहीं किये गये हैं, उन्हे कार्य मे लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जावे।
5. एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों को भी केस अधिकारी प्रभारी /समन्वयक नियुक्त किये जावे।
6. न्यायिक प्रकरणों के प्रभावी मोनिटरिंग हेतु राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक रजिस्टर का संधारण कर सभी प्रकरणों का इन्द्राज संलग्न प्रपत्रानुसार किया जावे व इसी प्रपत्र में मासिक सूचना सहायक विधि परामर्शी निदेशालय मुख्यालय को प्रत्येक मास की 5 तारीख तक ई–मेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करने की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जावे। (निर्धारित प्रपत्र संलग्न हैं।)
7. बिन्दु संख्या 6 की कार्यवाही हेतु सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक कार्मिक को उत्तरदायित्व आवंटित कर उसका नाम व मोबाइल नम्बर उपविधि परामर्शी को भिजवाया जाये।
8. सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थ जिले के सभी न्यायिक प्रकरणों की सूची कार्यालय में संधारित की जावें।
9. न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त केस अधिकारी प्रभारी/समन्वयक प्रकरण का निर्णय होते ही अविलम्ब प्रति प्राप्त कर निर्णय पर राजकीय अधिवक्ता व स्वयं की टिप्पणी के साथ निर्णय निदेशालय में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।
10. केस अधिकारी प्रभारी/समन्वयक से निर्णय प्राप्त होते ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय प्राप्त निर्णय पर अपनी टिप्पणी अंकित कर अपील/नो अपील के निर्णय हेतु प्रकरण स्थायी समिति में रखवाने हेतु ऐजेन्डा मय तथ्यात्मक बिन्दुओं सहित सहायक विधि परामर्शी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।
11. विभाग के विरूद्ध एस.बी. सिविल रिट दायर होने व रिट में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना अथवा निर्णय के विरूद्ध रिव्यू अपील दायर करने, प्रकरण में अवमानना दायर होने पर

अवमानना प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करवाने हेतु संबंधित से तथ्य प्राप्त कर उपलब्ध कराने व एस.बी. सिविल रिट में पारित निर्णय की पालना/अवमानना प्रकरण समाप्त होने तक एस.बी. सिविल रिट के निर्णय से संबंधित समस्त कार्यवाही उच्च न्यायालय सीट के डिलिंग सहायको द्वारा सम्पादित की जायेगी। प्रकरणो में समय पर कार्यवाही नहीं करने अथवा केस अधिकारी प्रभारी द्वारा समय पर निर्णय नहीं भिजवाने पर विभाग के विरूद्ध अवमानना दायर होने पर अविलम्ब दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

12. विभागीय जवाब दावे के अभाव में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण की सूची संबंधित डिलिंग सहायकों द्वारा तैयार कर सहायक विधि परामर्शी को 15 दिवस में उपलब्ध करायी जावे जिसे उनके द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।
13. माननीय न्यायालय निर्णयों की पालना में याचियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण निर्धारित समयावधि में संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से किया जावे।
14. न्यायिक प्रकरणो की समिक्षा हेतु सभी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कार्यालयों में प्रतिमाह बैठक रखी जावे। उक्त बैठकों में न्यायिक प्रकरणो में प्रस्तुत जवाब दावो/निर्णयों की पालना की समिक्षा की जावे। इस हेतु निदेशालय स्तर से एक टीम के गठन के आदेश निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अविलम्ब जारी किया जावे। उक्त टीम में उपविधि परामर्शी को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।
15. स्थायी समिति की बैठक में निर्णय के विरूद्ध अपील किये जाने की अनुशंसा किये जाने पर प्रशासनिक विभाग से अविलम्ब अनुमोदन प्राप्त कर प्रकरण मे तत्काल ओ.आई.सी. व राजकीय अधिवक्ता नियुक्त कर अपील की कार्यवाही करवायी जावे।
16. न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त सभी केस अधिकारी प्रभारी/समन्वयक नियुक्ति आदेश रजिस्टर्ड डाक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जावे जिसे उनके द्वारा केस अधिकारी प्रभारी को तामील करवाकर तामील रसीद संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपविधि परामर्शी को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
17. विधि अनुभाग से जारी केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक नियुक्ति आदेश की प्रति निर्धारित अग्रेसित पत्र के साथ संबंधित डिलिंग असिस्टेंट द्वारा सलाहकार आई.टी. मुख्यालय को तत्काल प्रेषित कि जावे जिसे सलाहकार आई.टी. द्वारा विभागीय वेबसाईट पर "court case O.I.C. Appointment Order Legal Cell" पर अपलोड की जावे। (सलाहकार आई.टी. को प्रेषित प्रपत्र संलग्न है।)

11.17-6

शासन उप सचिव
एनआरएचएम

क्रमांकः प1(103)/निचिस्वा./विधि/सामा./2014/ 114 दिनांक 10/9/14

प्रतिलिपि निम्न लिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एड्स) मुख्यालय।
5. परियोजना निदेशक एन.आर.एच.एम. मुख्यालय।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, (ग्रुप–2/3) शासन सचिवालयं
7. शासन उप सचिव, (समन्वयक)/ग्रुप–5
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित/चि0प्र0/प0क0/ग्रा0स्वा0) मुख्यालय।
9. सहायक विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन को वास्ते पालनार्थ।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को वास्ते पालनार्थ।
12. कार्यालय सहायक राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर–अवमानना सीट एवं सभी डिलिंग सहायक विधि अनुभाग, मुख्यालय को वास्ते पालनार्थ।
13. सलाहकार आई.टी. एन.आर.एच.एम. मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही एव पालनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

11.17-6

शासन उप सचिव
एनआरएचएम

न्यायालय प्रकरणों की सूचना कार्यायल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .....

(वर्णित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2014 से प्रतिमाह अलग–अलग सीट पर तैयार कर प्रत्येक माह की पांच तारीख तक हस्ताक्षरित कर डाक तथा ई–मेल dmhsdlr@gmail.com पर भिजवायी जावेगी।

संबंधित सीट/विषय

		दिनांक ..... तक की स्थिति				दिनांक ..... से ..... तक की स्थिति						दिनांक ..... तक की स्थिति							
क्र0सं0	कुल विचाराधीन प्रकरण	केस अधिकारी प्रभारी नियुक्त किये गये प्रकरणों की संख्या	जवाब प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की संख्या	केस अधिकारी प्रभारी नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या	जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या	नविन प्राप्त प्रकरण	केस अधिकारी प्रभारी नियुक्त किये गये प्रकरणों की संख्या	जवाब प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की संख्या	प्राप्त निर्णयों की संख्या	प्रि–लिटिगेश कमेटी के समक्ष अपील/नोअपील हेतु रखे गये प्रकरणों की संख्या	जारी स्मरण पत्रों की संख्या	कुल विचाराधीन प्रकरण (1+6)	केस अधिकारी प्रभारी नियुक्त किये गये प्रकरणों की संख्या (2+7)	जवाब दावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की संख्या (3+8)	केस अधिकारी प्रभारी की नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरणो की संख्या	जवाब दावा प्रस्तुत करने से शेष	प्रि–लिटिगेशन कमेटी/कमेटी के समक्ष रखने से शेष प्रकरणों की संख्या	प्रि–लिटिगेशन कमेटी के निर्णय की पालना में अपील दायर करने से शेष प्रकरणों की संख्या	प्रि–लिटिगेशन कमेटी के निर्णय की पालना में नोअपील के प्रकरणों में पालना से शेष प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	उच्च न्यायालय जयपुर (ए टू एच)																		
2	उच्च न्यायालय जयपुर (आई टू एम)																		
3	उच्च न्यायालय जयपुर (एन टू आर)																		
4	उच्च न्यायालय जयपुर (एच टू जेड)																		
5	उच्च न्यायालय जोधपुर (ए टू एम)																		
6	उच्च न्यायालय जोधपुर (एन टू जेड)																		
7	अपील अधिकरण जयपुर																		
8	अधीनस्थ न्यायालय																		
9	सर्वोच्च न्यायालय																		
10	अवमानना																		
11	अपील अधिकरण जोधपुर																		

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी